जनपद - संतकबीरनगर　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　दिनॉक 27-06-2021

आज दिनांक 27.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

700 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान बहदग्राम बेलवासेंगर से बालेपार जाने वाली सड़क के पास से अवनेंद्र प्रतास सिंह उर्फ अनुज सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी बेलवासेंगर थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर के कब्जे से 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 108 / 2021 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सदरुल आलमीन, उ0नि0 श्री अमर सिंह, हे0का0 अर्जुन आर्या, का0 सुशील यादव, कां0 अतीश सिंह, कां0 विनय कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 25 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 1494 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी <u>1494</u> को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत सिरसिया से इवेन्ट संख्या 07563 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 03 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद मे घायल व्यक्ति को जरिए एंबुलेंस से प्रा0स्वा0 केन्द्र मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के संबंध मे थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 राजाराम प्रसाद, आ0 रविन्द्र कुमार, आ0चा0 राजेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 166 वाहनो से 134000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 166 वाहनो से 134000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।